194

आयोजनेत्तर

संख्या– 174/XXII/2012–1(2)2012

प्रेषक,

एम.एच.खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादूनः दिनांक ~~18~~ 24 अप्रैल, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंण्ड, देहरादून हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध मदों में रू0 28287 हजार (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख सतासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसी व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3– धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही हो। व्यय में मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

4– वित्तीय वर्ष 2012–13 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो के एरियर भुगतान यदि काई हो तो उसके विवरण की सूचना विभाग द्वारा अलग से रखी जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–14 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षकों/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6– उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के पत्र संख्या–193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 में नीहित दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी की जा रही है।

भवदीय,

(एम.एच.खान)
सचिव।

पृ0संख्या– 174(1)/XXII/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव।